

शांति भंग करने के 20 आरोपी गिरफ्तार :-

रामवीर सिंह थानाधिकारी थाना चौथ का वरवाडा ने मुकेश पुत्र चिरंजी ब्राहमण, उम्र 35 साल निवासी पिपलाई थाना बामनवास , मिनाजुदीन पुत्र सलीम उम्र 25 साल निवासी गोगोर, थाना सूरवाल , शाहरूख पुत्र हनीफ, उम्र 19 साल निवासी गोगोर , आसिफ पुत्र नफीस उम्र 19 साल निवासी गोगोर , टीकाराम पुत्र कजोड बागरिया उम्र 22 साल निवासी गोगोर , शंकर पुत्र सुल्तान राजपूत, उम्र 30 साल निवासी नगर थाना निवाई टोंक , पवन पुत्र बाबू लाल वैष्णव, उम्र 20 साल निवासी सोंठवा थाना श्योपुर , राजेश पुत्र रामसहाय वैष्णव, उम्र 21 साल, निवासी मीना बडौदा थाना वजीरपुर , दिलीप पुत्र भरत मीना उम्र 23 साल निवासी मीना बडौदा, थाना वजीरपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार मुरारी लाल स0उ0नि0 थाना चौथ का वरवाडा ने भारतसिंह पुत्र रधुनाथ सिंह उम्र 22 साल, जगदीश पुत्र रोडजी उम्र 21 साल , दिनेश पुत्र मोहनलाल, उम्र 23 साल, जाति तंवर, निवासीयान टाण्डीमकलां, थाना कालीपिट, जिला राजगढ़, एम.पी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार वीरेन्द्र सिंह हैड कानि0 343 थाना वामनवास ने गोल्सहं पुत्र रधुवीरसहं जाति राजपूत उम्र 19 साल निवासी सराय थाना बामनवा, अमनेश पुत्र रधुनाथ जाति मीना उम्र 21 साल निवासी सराय थाना बामनवास, कुलदोप सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत उम्र 27 साल निवासी सराय थाना बामनवास, को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार नरेद्र सिंह स0उ0नि0 थाना सूरवाल ने श्री राजेश पुत्र श्री रामप्रकाश जाति मीना उम्र 22 साल निवासी बन्धा थाना सूरवाल जिला स0मा0 को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार रामस्वरूप उ0नि0 चौकी भाडोती/ लालचन्द है0कानि0 44 थाना मलारना डूंगर ने .नाथूलाल पुत्र जमनालाल उम्र 55 साल , धनसिंह पुत्र नाथूलाल उम्र 26 साल जातियान मीना निवासीयान भारजा नदी थाना मलारना डूंगर ,जीतराम पुत्र घासीराम उम्र 23 साल निवासी मलारना डूंगर , मुकेश पुत्र प्रहलाद उम्र 35 साल जाति गुर्जर निवासी मलारना चौड थाना मलारना डूंगर जिला स0मा0 को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर उत्पाते मचाते 06 आरोपी गिरफ्तार:-

करतार सिंह स0उ0नि0 थाना गंगापुरसिटी ने राजीव सिंह पुत्र श्री महेश उम्र 25 साल जाति राजपूत निवासी ट्रक यूनियन के पास राजीव कोलोनी गंगापुर सिटी, नरेश पुत्र रमेश जाति माली उम्र 28 साल निवासी ट्रक यूनियन के पास राजीव कोलोनी गंगापुर सिटी, थाना गंगापुर सिटी, राजपाल पुत्र भरोसीलाल जाति बैरवा उम्र 22 साल निवासी चूली थाना गंगापुर सिटी, हेमराज पुत्र रामसिंह जाति मीना उम्र 24 साल निवासी डावरा थाना सपोटरा जिला करौली, मोहनलाल पुत्र सामलिया जाति बैरवा उम्र 35 साल निवासी चूली थाना गंगापुर सिटी को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार पप्पूलाल स0उ0नि0 थाना रवांजना डूंगर ने श्री सुनिल पुत्र रामसहाय जाति हरिजन उम्र 32 साल निवासी 184/190 सीमेन्ट फैक्ट्री थाना मानटाउन स0मा0 को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 03 आरोपी गिरफ्तार:-

मुकेश कुमार उ0नि0 थाना रवांजना डूंगर ने महेन्द्र कुमार पुत्र देवनारायण जाति महावर उम्र 27 साल निवासी कुशतला थाना रवाजना डूंगर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार गिर्राज प्रसाद स0उ0नि0 थाना मलारना डूंगर ने रासबिहारी पुत्र बजरंगलाल जाति महाजन उम्र 32 साल निवासी भाडोती थाना मलारना डूंगर जिला स0मा0 को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि0 396 थाना बौली ने बाबूलाल पुत्र प्रथ्वीराज जाति मीना नि0 मामडौली थाना बौली को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

दर्ज मुकदमात के 01 आरोपी गिरफ्तार :-

रामनाथ स0उ0नि0 महिला थाना स0मा0 ने दर्ज मुकदमात के आरोपी प्रकाश चन्द पुत्र जगदीश चन्द जाति कायस्थ उम्र 36 निवासी वंघ जी की गली थाना कोतवाली स0मा0 को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि श्री गणेश पुत्र मदन लाल जाति माली निवासी सोरती बाजार शहर स0मा0 ने दिनांक 26.10.17 को आरोपी के विरुद्ध महिला थाना पर मु0नं0 89/17 धारा 324,341,354 ता0हि0 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।